

आवश्यक
नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION
BIHAR

पत्रांक:- न0 नि0 50-232/2022 3984

17/09/22

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)

विषय: नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022- उड़न दस्ता (एफ.एस.) एवं स्थैतिक निगरानी दल (एस.एस.टी.) के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 हेतु अधिसूचना दिनांक-09.09.2022 को निर्गत किये जा चुके हैं। वर्तमान में नगरपालिका आम निर्वाचन अंतर्गत वार्ड पार्षद के अतिरिक्त उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के पद पर प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा निर्वाचन सम्पन्न कराया जा रहा है। जिससे निर्वाचन की संवेदनशीलता पूर्व से अत्यधिक बढ़ गई है। विदित हो कि आयोग का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण निर्वाचन कराना है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन के हित में निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी रूपों को रोका जाना है। सामान्यतः निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचकों के प्रलोभन के लिए नकदी, उपहार वस्तुएँ, मदिरा या मुफ्त भोजन आदि का वितरण किया जाता है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना आई.पी.सी. की धारा 171 (ख) और धारा 171 (ग) के अंतर्गत अपराध है।

निर्वाचन की शुचिता बनाये रखने के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रचार खर्च, घूस के रूप में नकदी या किसी वस्तु का वितरण, अवैध शराब का वितरण, असामाजिक तत्वों की आवाजाही आदि पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक नगर निगम के लिए कम से कम चार से पाँच एवं नगर परिषद/नगर पंचायत के लिए अनुमंडल स्तर पर कम से कम दो फ्लाइंग स्क्वायड (F.S.) उड़न दस्ता चेक नाका के अनुरूप एक स्थैतिक निगरानी दल (S.S.T.) का गठन किया जाए, जो मतदान की समाप्ति तक कार्यरत रहेगा। उड़न दस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया निम्नवत् है:-

Anil Sir
16.9.22

(क) उड़न दस्ता (Flying Squad)

- (i) प्रत्येक उड़न दस्ता दल में एक मजिस्ट्रेट तथा उसके साथ एक पुलिस पदाधिकारी एवं राज्य सशस्त्र पुलिस के 3-4 जवानों को शामिल किया जाएगा। इस दल के साथ एक विडियोग्राफर भी होगा।
- (ii) उड़नदस्ता आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और इस संबंध में प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करेगा।
- (iii) यह दस्ता निर्वाचकों को रिश्वत देने के प्रयोजनार्थ नकदी को लाने-ले जाने की शिकायत पर कार्रवाई करेगा तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधि, अवैध हथियार, अवैध शराब, मदिरा आदि के परिवहन पर नजर रखेगी एवं इससे संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करेगा।
- (iv) अभ्यर्थियों के द्वारा की जानेवाली सभा, जुलूस और रैली आदि पर नजर रखेगा।
- (v) जब कभी भी नकदी या शराब या रिश्वत के रूप में कोई वस्तु के वितरण अथवा कोई अन्य शिकायत प्राप्त होती है, तो उड़नदस्ता मौके पर तत्काल पहुँचेगा तथा उड़नदस्ता के प्रभारी पुलिस पदाधिकारी नकदी या रिश्वत की वस्तुओं को जब्त करेगा और जिन व्यक्तियों से मदें (Item) जब्त की गयी है, जब्ती सूची बनाते हुए उनके और गवाहों के बयान रिकार्ड करेगा और साक्ष्य जुटायेगा। जिस व्यक्ति से मदें (Item) जब्त की गई है, उसको जब्ती का समुचित पंचनामा सी.आर.सी.पी. के प्रावधानों के अनुसार जारी करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारिता वाले न्यायालय में 24 घंटे के अंदर मामले को प्रस्तुत किया जाये।

उड़न दस्ता का मजिस्ट्रेट यह ध्यान रखेंगे कि इस क्रम में समुचित कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है और कानून एवं व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। साथ ही उनके द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग भी करायी जायेगी।

- (vi) प्रत्येक उड़न दस्ता अपने वाहन पर लगाई गई सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से अपने क्षेत्राधिकार में स्थानीय भाषा में निम्नलिखित उद्घोषणा करेगा :-
“भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। उड़न दस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई

करने के लिए गठित किए गए हैं जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त है। सभी नागरिकों से एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे कोई रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने हेतु गठित नियंत्रण कक्ष पर सूचित करना चाहिए।”

(ख) स्थैतिक निगरानी दल (Static Surveillance Team)

- (i) प्रत्येक स्थैतिक निगरानीदल में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एक पुलिस पदाधिकारी तथा तीन-चार पुलिस कर्मी होंगे जो चेक पोस्ट पर कार्यरत रहेंगे। इस दल के साथ भी एक वीडियोग्राफर होगा।
- (ii) यह दल अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुओं या भारी मात्रा में नकदी, हथियार, गोला बारूद तथा असामाजिक तत्वों आदि की आवाजाही पर नजर रखेगा। किसी भी वाहन /वस्तुओं की जाँच कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाएगी एवं जाँच किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी।
- (iii) यह तंत्र मतदान से पहले अंतिम 72 घंटों में सुदृढ़ किया जायेगा और ऐसी अवधि के दौरान एस.एस.टी (Static Surveillance Team) को किसी भी परिस्थिति में विघटित नहीं किया जाएगा।
- (iv) जाँच के दौरान नकदी या अन्य मदों की यदि जब्ती की जाती है, तो यह सी.आर.सी. पी. के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। एस.एस.टी. के प्रभारी पुलिस पदाधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में 24 घंटे के भीतर शिकायत/एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी।

उड़न दस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल का गठन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा तथा उन्हें उपयुक्त तरीके से प्रशिक्षित किया जायेगा। उड़न दस्ता और स्थैतिक निगरानी दल को वाहन की जाँच करने के समय विनम्र, मर्यादित एवं शिष्ट आचरण करना है।

जब्ती के बाद जब्त की गई धनराशि न्यायालय द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके से जमा की जायेगी।

उड़न दस्ता और स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा प्रयुक्त सभी वाहनों में जी.पी.आर.एस. समर्थित ट्रैकिंग यूनिट लगाये जायेंगे ताकि इन दलों द्वारा यथासमय कार्रवाई किए जाने की मॉनिटरिंग की जा सके।

वीडियोग्राफी से संबंधित वीडियो रिकार्ड दिनांक, स्थान एवं टीम संख्या की पहचान निशान के साथ संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा किया जायेगा।


स्थैतिक निगरानी दल (S.S.T) के नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित करने हेतु प्रपत्र-1 एवं

फलाईंग स्क्वायड (F.S.T) के नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित करने हेतु प्रपत्र-2 पत्र के साथ संलग्न है। जिनमें प्रतिवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

अनुरोध है कि उपरोक्त किये गये कार्य से संबंधित प्रतिवेदन हेतु संलग्न प्रपत्र में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा समेकित रूप से संयुक्त प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित की जाए।

अनुलग्नक: यथोक्त

विश्वासभाजन


सचिव

ज्ञापांक— न0 नि0 50-232/2022 3984 पटना, दिनांक 16.9.22
प्रतिलिपि— आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।


सचिव


ज्ञापांक— न0 नि0 50-232/2022 3984 पटना, दिनांक - 16.9.22
प्रतिलिपि:— सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव

ज्ञापांक— न0 नि0 50-232/2022 3984 पटना, दिनांक - 16.9.22
प्रतिलिपि:— प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव

ज्ञापांक— न0 नि0 50-232/2022 3984 पटना, दिनांक - 16.9.22
प्रतिलिपि:— अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव

ज्ञापांक— न0 नि0 50-232/2022 3984 पटना, दिनांक - 16.9.22
प्रतिलिपि:— मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी (F.S.T.) का प्रतिवेदन
तारीख को आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी.) संबंधी शिकायतों पर उड़न दस्ते की दैनिक क्रियाकलाप रिपोर्ट

मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
 पुलिस अधिकारी का नाम
 दिनांक

जिला :-
 नगर निकाय :-
 प्रखण्ड :-

1	2	3	4	5	6
क्र0	शिकायतकर्ता का नाम	जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है (उसका नाम)	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्रवाई की रिपोर्ट	जाँच के क्रम में पकड़ी गई वस्तु/नकद/Liquor आदि सहित का विवरण
1					
2					
3					

हस्ताक्षर
 फ्लाईंग स्ववायड(F.S.T) के नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम

- टिप्पणी:-
- 1 दैनिक प्रतिवेदन जिला विधि व्यवस्था के प्रभारी पदाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।
 - 2 प्रभारी पदाधिकारी, विधि व्यवस्था कोषांग आयोग के पोर्टल पर दैनिक प्रतिवेदन को अद्यतन करेंगे।

स्थैतिक निगरानी टीम द्वारा/जब्त/अन्य मर्दों से संबंधित शिकायतों पर दैनिक गतिविधि रिपोर्ट

दिनांक

जाँच चौकी (चेक पोस्ट) का स्थान

जिला

मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम

पुलिस अधिकारी का नाम

1	2	3	4	5	6
क्र0	जिन व्यक्तियों की चेक पोस्ट पर जाँच की गई है उनका नाम तथा पता	नकदी/अन्य मर्द	दर्ज की गई एफ.आई.आर.	उस प्राधिकारी का नाम व पदनाम जिसे जब्त की गई नकदी, वस्तुएं सौंपी गई	अभ्युक्तिता
1					
2					
3					

हस्ताक्षर

स्थैतिक निगरानी दल के नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम

टिप्पणी:-

- 1 दैनिक प्रतिवेदन जिला विधि व्यवस्था के प्रभारी पदाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।
- 2 प्रभारी पदाधिकारी, विधि व्यवस्था कोषांग आयोग के पोर्टल पर दैनिक प्रतिवेदन को अपडेट करेगा।

